कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय
शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक / ... /आउशि/ब-वो 08 रायपुर, दिनांक 14/7/08

प्रति,

प्राचार्य,
शासकीय नवीन महाविद्यालय,
तमनार, जिला - रायगढ (छ.ग.)।

विषय :- तमनार, जिला - रायगढ में नवीन शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने बाबत्।

संदर्भ :- छत्तीसगढ शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ - 5 - 27/2008/38-1 रायपुर दिनांक 03.07.2008

राज्य शासन के संदर्भित आदेशानुसार तमनार, जिला - रायगढ में नवीन शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने की अनुमति दी गई है। महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर विज्ञान, कला एवं वाणिज्य संकाय चालू शैक्षणिक सत्र 2008 -09 में प्रारंभ करने तथा कुल 19 अस्थाई पदों के सृजन करने की स्वीकृति वित्त विभाग की यू. ओ. क्रमांक 293/2008/बजट - 3/चार, दिनांक 01.07.2008 द्वारा सहमति प्रदान की गई है। उक्त पदों का वर्गीकृत विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	पदनाम	पद संख्या	वेतनमान
शैक्षणिक पद			
1.	प्राचार्य, स्नातक	01	12000 - 18300
2.	सहायक प्राध्यापक		
	(अ) विज्ञान संकाय (बायोग्रुप) (रसायन, प्राणीशास्त्र, वनस्पति, भौतिकशास्त्र गणित)	05	8000 - 13500
	(ब) वाणिज्य संकाय	01	8000 - 13500
	(स) कला संकाय (हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान,)	04	8000 - 13500
अशैक्षणिक पद			
3.	प्रयोगशाला तकनीशियन	03	4000 - 6000
4.	सहायक ग्रेड - 1	01	4500 - 7000
5.	सहायक ग्रेड - 2	01	4000 - 6000
6.	सहायक ग्रेड - 3	01	3050 - 4590
7.	भृत्य	02	2550 - 3200
	योग :-	19	

उपरोक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2008 - 09 में मांग संख्या-41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना - 2202- सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा, -103 - सरकारी कॉलेज और संस्थाएं - (0102)- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना - (798)-कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना मद के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ.ग.)

		जिला कोरबा	
12		शासकीय महाविद्यालय गोबरा,नवापारा जिला रायपुर	5200+20200+1800
13		शासकीय महाविद्यालय सरगांव, जिला मुंगेली	5200+20200+1800
14		शासकीय महाविद्यालय जामगांव आर, जिला दुर्ग	5200+20200+1800
15	मांग संख्या –44 –2202–(03)–0101–(103)–798	शासकीय महाविद्यालय पण्डातराई, जिला कबीरधाम	5200+20200+1800
16		शासकीय महाविद्यालय, अरमरीकला, जिला दुर्ग	5200+20200+1800
17		शासकीय महाविद्यालय कोतरी, जिला मुंगेली	5200+20200+1800
18		शासकीय महाविद्यालय बोरी, जिला–दुर्ग	5200+20200+1800
19		शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय बेमेतरा, जिला बेमेतरा	5200+20200+1800
20		शासकीय महाविद्यालय बलौदा, जिला महासमुन्द	5200+20200+1800
21		शासकीय महाविद्यालय मगरलोड ,जिला धमतरी	5200+20200+1800
22		शासकीय महाविद्यालय साल्हेवारा, जिला राजनांदगांव	5200+20200+1800
23		शासकीय महाविद्यालय पिपरिया, जिला कबीरधाम	5200+20200+1800
24		शासकीय महाविद्यालय जोबी, जिलारायगढ	5200+20200+1800
25		शासकीय महाविद्यालय बेलौदी, जिला बालोद	5200+20200+1800
26		शासकीय महाविद्यालय, दुर्गकोन्दल	5200+20200+1800
27		शासकीय नवीन महाविद्यालय, खुर्सीपार, भिलाई जिला दुर्ग	5200+20200+1800
28		शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर	5200+20200+1800
29		शासकीय महाविद्यालय वैशालीनगर, जिला दुर्ग	5200+20200+1800
30		शासकीय वि.या.ता. स्नातकोत्तर महाविद्यालय ,दुर्ग	5200+20200+1800
31		शासकीय भानुप्रतापदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय कांकेर	5200+20200+1800
32		शासकीय महाविद्यालय अभनपुर, जिला रायपुर	5200+20200+1800

		बलरामपुर		
57		शासकीय. महाविद्यालय भानपुर, जिला बस्तर	5200+20200+1800	
58		शासकीय महाविद्यालय करतला, जिला कोरबा	5200+20200+1800	
59		शासकीय महाविद्यालय घरघोड़ा जिला रायगढ़	5200+20200+1800	
60		शासकीय महाविद्यालय सिलफिली, जिला जशपुर	5200+20200+1800	
61		शासकीय महाविद्यालय बकावण्ड, जिला बस्तर	5200+20200+1800	
62		शासकीय महाविद्यालय तपकरा जिला जशपुर	5200+20200+1800	
63		शासकीय महाविद्यालय राजपुर जिला बलरामपुर	5200+20200+1800	
64		शासकीय महाविद्यालय बरपाली जिला कोरबा	5200+20200+1800	
65		शासकीय महाविद्यालय भैयाथान जिला सूरजपर	5200+20200+1800	
66		शासकीय महाविद्यालय सनावल जिला बलरामपर	5200+20200+1800	
67		शासकीय महाविद्यालय कोंटा, जिला सुकमा	5200+20200+1800	
68		शासकीय महाविद्यालय पटना जिला कोरया	5200+20200+1800	
69		शासकीय महाविद्यालय प्रेमनगर जिला सूरजपुर	5200+20200+1800	
70		शासकीय महाविद्यालय शंकरगढ जिला बलरामपुर	5200+20200+1800	
71		शासकीय महाविद्यालय पाली जिला कोरबा	5200+20200+1800	
72		शासकीय महाविद्यालय फिंगेश्वर जिला गरियाबन्द	5200+20200+1800	
73		शासकीय महाविद्यालय फरसगांव जिला कोण्डागांव	5200+20200+1800	
74		शासकीय महाविद्यालय बतौली जिला सरगुजा	5200+20200+1800	
75		शासकीय महाविद्यालय तोकापाल जिला बस्तर	5200+20200+1800	
76		शासकीय महाविद्यालय सरोना जिला कांकेर	5200+20200+1800	
77		शासकीय महाविद्यालय डुमरिया जरही जिला सूरजपुर	5200+20200+1800	
78		शासकीय महाविद्यालय मंगचुवा जिला बालोद	5200+20200+1800	
79		शासकीय नवीन विज्ञान महाविद्यालय अम्बिकापुर	5200+20200+1800	

:: मंत्रालय ::
महानदी भवन,नया रायपुर

कमांक एफ 3–36 / 2015 / 38–1 रायपुर, दिनांक 06 / 10 / 2015

118
17.10.15

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन, नया रायपुर।

विषयः– प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में प्रयोगशाला परिचारक के पदों के सृजन की स्वीकृति बाबत।

संदर्भ :– आपकी नस्ती कमांक नं 441 / अप.संचा. / 15, दिनांक 28–05–2015

राज्य शासन, एतद् द्वारा वर्ष 2015–16 के बजट में प्रावधान अनुसार प्रदेश के निम्नलिखित शासकीय महाविद्यालयों में प्रयोगशाला परिचारक के 150 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क.	मांग संख्या	महाविद्यालय का नाम	वेतनमान	पद संख्या
1	मांग संख्या–44 –2202–(03)–0101–(103)–798	शासकीय कन्या महाविद्यालय महासमुन्द , जिला महासमुन्द	5200+20200+1800	
2		शासकीय महाविद्यालय देवभोग, जिला गरियाबन्द	5200+20200+1800	
3		शासकीय महाविद्यालय सक्ति,जिला जांजगीर चांपा	5200+20200+1800	
4		शासकीय महाविद्यालय धरमजयगढ, जिला रायगढ	5200+20200+1800	
5		शासकीय महाविद्यालय गुरुर, जिला बालोद	5200+20200+1800	
6		शासकीय महाविद्यालय बोड़ला, जिला राजनांदगांव	5200+20200+1800	
7.		शासकीय महाविद्यालय बेरला, जिला बेमेतरा	5200+20200+1800	
8		शासकीय महाविद्यालय बलौदा, जिला जांजगीर चांपा	5200+20200+1800	
9		शासकीय महाविद्यालय भखारा, जिला धमतरी	5200+20200+1800	
10		शासकीय महाविद्यालय खेरथा, जिला बालोद	5200+20200+1800	

C1(1333)a

		शासकीय कन्या महाविद्यालय, जांजगीर	5200+20200+1800	02
34		शासकीय महाविद्यालय जैजैपुर जिला जांजगीर चांपा	5200+20200+1800	02
35		शासकीय महाविद्यालय हसौद जिला जांजगीर चांपा	5200+20200+1800	02
36	मांग संख्या 64	शासकीय महाविद्यालय रामानुजनगर	5200+20200+1800	02
37	–2202–(03)–	शासकीय महाविद्यालय लवन, जिला बलौदाबाजार	5200+20200+1800	01
38	0103–(103)–798	शासकीय नवीन महाविद्यालय पामगढ, जिला जांजगीर चांपा	5200+20200+1800	02
39		शासकीय नवीन महाविद्यालय फास्टरपुर (सेतगंगा) जिला मुंगेली	5200+20200+1800	01
40		शासकीय महाविद्यालय नवागढ, जिला जांजगीर चांपा	5200+20200+1800	01
41		शासकीय महाविद्यालय बीजापुर, जिला बीजापुर	5200+20200+1800	01
42		शासकीय महाविद्यालय केशकाल , जिला कोण्डागांव	5200+20200+1800	02
43	मांग संख्या–41	शासकीय महाविद्यालय अंतागढ, जिला कांकेर	5200+20200+1800	01
44	–2202–(03)–	शासकीय महाविद्यालय उदयपुर, जिला सरगुजा	5200+20200+1800	01
45	0102–(103)–798	शासकीय महाविद्यालय डौंडी, जिला बालोद	5200+20200+1800	01
46		शासकीय महाविद्यालय डौंडी लोहारा ,जिला बालोद	5200+20200+1800	02
47		शासकीय महाविद्यालय , मरवाही, जिला बिलासपुर	5200+20200+1800	01
48		शासकीय महाविद्यालय मोहला, जिला राजनांदगांव	5200+20200+1800	01
49		शासकीय महाविद्यालय बगीचा, जिला जशपुर	5200+20200+1800	01
50		शासकीय कन्या महाविद्यालय दन्तेवाड़ा, जिला दन्तेवाड़ा	5200+20200+1800	01
51	मांग संख्या–41	शासकीय कन्या महाविद्यालय बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया	5200+20200+1800	01
52	–2202–(03)–	शासकीय महाविद्यालय जनकपुर, जिला कोरिया	5200+20200+1800	01
53	0102–(103)–798	शासकीय महाविद्यालय तमनार, जिला रायगढ	5200+20200+1800	01
54		शासकीय महाविद्यालय विश्रामपुर ,जिला सूरजपुर	5200+20200+1800	01
55				

80		शासकीय महाविद्यालय कांसाबेल जिला जशपुर	5200+20200+1800	0
			कुल योग	15

4/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू0ओ0 कमांक एफ 2015–38–000571/वित्त /ब–3/चार,रायपुर दिनांक 14/07/2015 द्वारा दी गई सहमति अनुसार जारी की जा रही है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(श्रीमती दुर्गा देवांगन)
अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

कमांक एफ 3–36/2015/38–1 रायपुर, दिनांक 06/10/2015

प्रतिलिपि :–

1. मान. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर, छ0ग0।
2. मान. मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव, छ0ग0 शासन, मंत्रालय, रायपुर छ0ग0।
3. मुख्य सचिव के उप सचिव, छ0ग0 शासन, मंत्रालय, रायपुर, छ0ग0।
4. विशेष सहायक, मान.मंत्री जी, छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग,मंत्रालय, नया रायपुर।
5. सचिव, छ0ग0 शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की यू0ओ0 कमांक एफ 2015–38–000571/वित्त/ब–3/चार,रायपुर दिनांक 14/07/2015 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
6. प्रमुख सचिव, छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
7. महालेखाकार, छ0ग0 रायपुर।
8. संबंधित, जिला–कलेक्टर रायपुर छ0ग0।
9. संबंधित क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा रायपुर , छ0ग0।
10. संबंधित, जिला–कोषालय अधिकारी .....
11. संबंधित प्राचार्य .....
छ0ग0 की ओर सूचानार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
12. आदेश फोल्डर।

अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 3–44/16/38–1 रायपुर, दिनांक 12/08/2016

प्रति,

आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय
इंदावती भवन, नया रायपुर

विषय : मुख्य बजट वर्ष 2016–17 में प्रावधान अनुसार शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर नवीन विषय एवं पद सृजन की स्वीकृति।

संदर्भ :– आपकी टीप क्रमांक 11/आ.उ.शि/योजना 2016।

राज्य शासन, एतद् द्वारा, बजट वर्ष 2016–17 में मांग संख्या क्रमांक 44, 41 एवं 64 अंतर्गत प्रावधान अनुसार निम्नलिखित शासकीय महाविद्यालयों में निम्नानुसार स्नातक स्तर पर उनके समक्ष दर्शाए पाठ्यक्रम/नवीन विषय/संकाय प्रारंभ करने तथा सहायक प्राध्यापक, प्रयोगशाला तकनीशियन एवं प्रयोगशाला परिचारक के पद सृजन की स्वीकृति प्रदान करता है :–

1. मांग संख्या 44 :–

क्र.	महाविद्यालय का नाम	पाठ्यक्रम	विषय	सृजित पद		
				सहायक प्राध्यापक	प्रयोगशाला तकनीशियन	प्रयोगशाला परिचारक
1	2	3	4	5	6	7
1	शास. शहीद बापूराव महाविद्यालय, सुकमा, जिला सुकमा	बी.एस.सी.	रसायनशास्त्र	1	2	2
			प्राणीशास्त्र	1		
			वनस्पतिशास्त्र	1		
			भौतिकशास्त्र	1		
			गणित	1		
2	शास. गजानंद माधव मुक्तिबोध महाविद्यालय, सहसपुर लोहारा, जिला कबीरधाम	बी.एस.सी.	रसायनशास्त्र	1	2	2
			प्राणीशास्त्र	1		
			वनस्पतिशास्त्र	1		
			भौतिकशास्त्र	1		
			गणित	1		
3	शास. राजीव गांधी कला/वाणिज्य महाविद्यालय, खारसी, जिला मुंगेली	बी.कॉम.	वाणिज्य	3	—	—
		बी.एस.सी.	रसायनशास्त्र	1	2	2
			प्राणीशास्त्र	1		
			वनस्पतिशास्त्र	1		
			भौतिकशास्त्र	1		
			गणित	1		
4	शास. निःशुल्क कन्या महाविद्यालय, बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार	बी.एस.सी.	रसायनशास्त्र	1	2	2
			प्राणीशास्त्र	1		
			वनस्पतिशास्त्र	1		
			भौतिकशास्त्र	1		
			गणित	1		

निरंतर....

11	शास. कालीदास महाविद्यालय, प्रतापपुर, जिला सूरजपुर	बी.एस.सी.	रसायनशास्त्र प्राणीशास्त्र वनस्पतिशास्त्र भौतिकशास्त्र गणित	1 1 1 1 1	2	2
12	शास. बाला साहेब देशपांडे महाविद्यालय, कुनकुरी, जिला जशपुर	बी.एस.सी.	गणित भौतिकशास्त्र	1 1	—	
13	शास. महाविद्यालय, पाली, जिला कोरबा	बी.एस.सी.	गणित भौतिकशास्त्र	1 1	—	—
14	शास. नवीन महाविद्यालय, मैनपुर, जिला गरियाबंद	बी.एस.सी.	प्राणीशास्त्र वनस्पतिशास्त्र	1 1	1	1
15	शास. महाविद्यालय, मोहला, जिला–राजनांदगांव	बी.एस.सी.	गणित भौतिकशास्त्र	1 1	—	—
16	शास. वीर गैंद सिंह महाविद्यालय पखांजूर, जिला कांकेर	बी.काम.	वाणिज्य	3	—	—
17	शास. महाविद्यालय, जनकपुर जिला–कोरिया	बी.ए.	भूगोल	1	—	—
18	शास. महाविद्यालय, विश्रामपुर जिला–सरगुजा	बी.ए.	भूगोल	1	—	—
19	शास. महाविद्यालय, [illegible], जिला–रायगढ़	बी.ए.	इतिहास	1	—	—
20	शास. महाविद्यालय, माकड़ी, जिला–कोण्डागांव	बी.ए.	इतिहास	1	—	—
21	शास. महाविद्यालय, फरसगांव, जिला–कोण्डागांव	बी.ए.	इतिहास	1	—	—
			कुल:–	46	10	10

उपरोक्तानुसार मांग संख्या 41 के अंतर्गत कुल 21 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर नवीन संकाय/विषय प्रारंभ करने हेतु कुल 46 सहायक प्राध्यापक, 10 प्रयोगशाला तकनीशियन एवं 10 प्रयोगशाला परिचारक के पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त पदों के सृजन पर आने वाले व्यय मांग संख्या–41–अनुसूचित जनजाति उपयोजना–2202–सामान्य शिक्षा–(03)–विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा–0102–अनुसूचित जनजाति उपयोजना–(103)–सरकारी कालेज और संस्थाएं–798–कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय, अनुसूचित जनजाति उपयोजना मद के अंतर्गत विकलनीय होगा।

निरंतर.....

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
जिला–रायपुर
//आदेश//

नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, दिनांक 20 JUN 2023

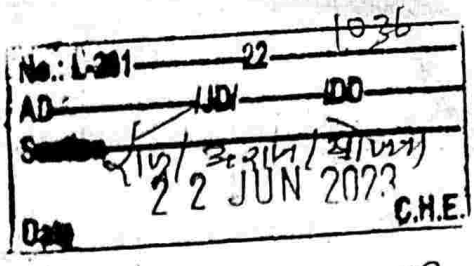

क्रमांक एफ 3–27/2023/38–1 :: राज्य शासन एतद्द्वारा 28 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय/संकाय प्रारंभ करने हेतु 112 पद के सृजन की सहमति दी जाती है। पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	मांग संख्या	महाविद्यालय का नाम	वांछित सीट संख्या	वांछित कक्षा/संकाय	आवश्यक पद संख्या				
					प्राध्यापक	सहा. प्राध्यापक	प्रयोगशाला तकनीशियन	प्रयोगशाला परिचारक	कुल
1	44	शास. काव्योपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय, अभनपुर जिला रायपुर	40	एम.ए. भूगोल	1	1	1	1	4
			40	एम.ए. समाजशास्त्र	1	1	0	0	2
2	44	मदनलाल साहू शासकीय महाविद्यालय, अरमरीकला जिला बालोद	20	एम.ए. समाजशास्त्र	1	1	0	0	2
3	44	शासकीय माता कर्मा कन्या महाविद्यालय, मचेवा जिला महासमुंद	30	एम.कॉम.	1	1	0	0	2
4	44	शासकीय जे.एम.पी. महाविद्यालय, तखतपुर जिला बिलासपुर	30	एम.कॉम.	1	0	0	0	1
			30	एम.एससी. रसायनशास्त्र	1	1	1	1	4
5	44	शासकीय डॉ. राधाबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर जिला रायपुर	20	एम.एससी. रसायनशास्त्र	1	1	1	1	4
			20	एम.एससी. वनस्पतिशास्त्र	1	1	1	1	4
6	44	शासकीय मयूरध्वज महादानी राजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चांपा जिला जांजगीर चांपा	40	एम.ए. हिन्दी	1	1	0	0	2
7	44	शासकीय रामानुज प्रताप सिंहदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बैकुन्ठपुर जिला कोरिया	40	एम.ए. भूगोल	1	1	1	1	4
8	44	शासकीय मदनलाल शुक्ल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीपत जिला बिलासपुर	40	एम.एससी. रसायनशास्त्र	1	1	1	1	4
			25	एम.कॉम.	1	1	0	0	2
9	44	शासकीय राजमाता विजया राजे सिंधिया कन्या महाविद्यालय, कवर्धा जिला कबीरधाम	30	एम.एससी. रसायनशास्त्र	1	1	0	0	2
10	44	शासकीय कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय देवेन्द्र नगर रायपुर जिला रायपुर	20	एम.एससी. वनस्पतिशास्त्र	1	1	1	1	4
			40	पी.जी.डी.सी.ए.	1	1	1	0	3
11	44	शासकीय किशोरी मोहन त्रिपाठी कन्या महाविद्यालय, रायगढ़ जिला रायगढ़	40	एम.ए. इतिहास	1	0	0	0	1

12	44	शासकीय [redacted] पंत श्री गंधमुनि नाम साहब स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा जिला कबीरधाम	30	एम.एससी. (सूचना प्रौद्यौगिकी)	1	1	1	1	4
13	44	शासकीय स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय, बोड़ला जिला कबीरधाम	40	एम.ए. राजनीतिशास्त्र	1	0	0	0	1
14	44	शासकीय नवीन महाविद्यालय, बीरगांव जिला रायपुर	40	एम.ए. समाजशास्त्र	1	1	0	0	2
15	44	शासकीय स्व. चन्दूलाल चन्द्राकर कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पाटन जिला दुर्ग	40	एम.एस.डब्लू. (MSW)	0	2	0	0	2
16	44	शासकीय दन्तेश्वरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दन्तेवाड़ा जिला दंतेवाड़ा	30	एम.ए. समाजशास्त्र	1	0	0	0	1
17	44	शासकीय पं. जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बेमेतरा जिला बेमेतरा	30	एम.ए. राजनीतिशास्त्र	1	1	0	0	2
18	44	शासकीय शहीद बापूराव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सुकमा जिला सुकमा	40	एम.कॉम.	2	0	0	0	2
			40	एम.एससी. रसायनशास्त्र	2	0	0	0	2
19	44	शासकीय पालूराम धनानिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायगढ़ जिला रायगढ़	40	एम.ए. हिन्दी साहित्य	1	1	0	0	2
20	44	बाबू पंढरी राव कृदत्त शासकीय महाविद्यालय, सिलौटी जिला धमतरी	30	एम.ए.भूगोल	1	1	1	1	4
21	44	संत गुरू घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कुरूद जिला धमतरी	20	एम.एससी. सूचना प्रौद्योगिकी	1	2	1	1	5
22	44	शासकीय महाविद्यालय बेलोदी जिला बालोद	30	एम.ए. राजनीतिविज्ञान	1	0	0	0	1
			30	एम.ए. समाजशास्त्र	1	0	0	0	1
			30	एम.एससी. प्राणीशास्त्र	1	0	1	1	3
			30	एम.एससी. वनस्पतिशास्त्र	1	0	1	1	3
23	41	शासकीय महाविद्यालय पाली जिला कोरबा	20	एम.ए. राजनीतिशास्त्र	1	0	0	0	1
24	41	नायक नित्यानंद साई शासकीय महाविद्यालय आरा जिला जशपुर	20	एम.एससी. रसायनशास्त्र	1	1	0	0	2
25	41	शासकीय राजमोहिनी देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अंबिकापुर जिला सरगुजा	30	एम.एससी. प्राणीशास्त्र	1	1	0	0	2
26	41	शासकीय वीरांगना रानी दुर्गावती महाविद्यालय, मरवाही जिला गौरेला पेन्ड्रा मरवाही	20	एम.एससी प्राणीशास्त्र	1	1	1	1	4
			40	एम.ए. हिन्दी साहित्य	1	1	0	0	2
			40	एम.ए. राजनीतिशास्त्र	1	1	0	0	2
			40	एम.ए. समाजशास्त्र	1	1	0	0	2
27	41	शासकीय कन्या महाविद्यालय, बैकुण्ठपुर जिला कोरिया	30	एम.कॉम.	1	0	0	0	1
			30	एम.ए. अर्थशास्त्र	1	0	0	0	1
			30	एम.ए. हिन्दी	1	0	0	0	1

28	41	शासकीय महाविद्यालय,तमनार जिला रायगढ़	40	एम.ए. हिन्दी साहित्य	1	0	0	0	1
			40	एम.ए. राजनीति विज्ञान	1	0	0	0	1
			30	एम.ए. समाजशास्त्र	1	0	0	0	1
			30	एम.एससी. रसायनशास्त्र	1	0	1	1	3
			20	एम.एससी. वनस्पतिशास्त्र	1	0	1	1	3
			20	एम.एससी.प्राणीशास्त्र	1	0	1	1	3
			15	एम.कॉम.	1	1	0	0	2
					49	30	17	16	112

उक्त तालिका के सरल क्र. 01 से 22 तक पदों का व्यय **मांग संख्या–44**–उच्च शिक्षा–2202–सामान्य शिक्षा–(03)–विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा–0101–राज्य आयोजना सामान्य–(103)–सरकारी कालेज और संस्थाये–798–कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय आयोजना मद अंतर्गत तथा तालिका के सरल क्र. 23 से 28 तक के पदों का व्यय **मांग संख्या–41**–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना–2202–सामान्य शिक्षा–(03)–विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा–0102–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना–(103)–सरकारी कालेज और संस्थाये–798–कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय आदिवासी क्षेत्र उपयोजना मद अंतर्गत विकलनीय होगा।

2/ उक्त तालिका अनुसार उल्लेखित शासकीय महाविद्यालयों में उनके नाम के सम्मुख अंकित नवीन विषय/संकाय का संचालन महाविद्यालय द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करने के उपरांत ही किया जावेगा। संबद्धता प्राप्त करने की पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य की होगी।

3/ उक्त तालिका अनुसार उल्लेखित शासकीय महाविद्यालयों में उनके नाम के सम्मुख अंकित नवीन विषय/संकाय यदि पूर्व से स्ववित्तीय योजना अंतर्गत/जनभागीदारी मद अंतर्गत संचालित हो रहे हो, तो उसे तत्काल बंद किया जायेगा तथा उक्त विषय/संकाय को **शैक्षणिक सत्र 2023–24** से नियमित रूप से शासन स्तर पर संचालित किया जायेगा।

4/ उपरोक्त आदेश में किसी प्रकार की विसंगति होने पर या महाविद्यालय में उपरोक्त में से कोई विषय/पाठ्यक्रम पूर्व से स्वीकृत होने अथवा महाविद्यालय को संबंधित विषय/पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं होने पर प्राचार्य की जवाबदारी होगी कि आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर उच्च शिक्षा संचालनालय को ई–मेल से अथवा विशेष वाहक के हस्ते सूचित करेंगे।

5/ जिन महाविद्यालयों में उपरोक्त स्वीकृत विषय/पाठ्यक्रम का संचालन जनभागीदारी अथवा स्व–वित्तीय मद से किया जा रहा है, उन्हें इसी सत्र 2023–24 से नियमित विभागीय विषय/संकाय/पाठ्यक्रम के अंतर्गत संचालित किया जायेगा तथा जनभागीदारी/स्व–वित्तीय व्यवस्था को तत्काल बन्द किया जायेगा।

7/ उपरोक्त सहमति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ–2023–38–00398/बी–3, दिनांक 19.06.2023 अनुसार दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से,
तथा आदेशानुसार,

(आर.ए.निर्मलकर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

अटल नगर, रायपुर, दिनांक 20/06/2023

पृ. कमांक एफ 3–27/2023/38–1
प्रतिलिपि :–

1. माननीय मंत्री जी के विशेष सहायक, उच्च शिक्षा विभाग, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।
2. निज सहायक, सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय से प्राप्त ज्ञापन कमांक 04/01/आउशि/योजना/2023–24, दिनांक 05.04.2023 के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
4. संबंधित प्राचार्य.....
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. आर्डर फोल्डर।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

अध्याय - 1

सेवा की सामान्य शर्तें

(GENERAL CONDITIONS OS SERVICE)

1. **संपूर्ण समय शासन के अधीन**

जब तक किसी प्रकरण में अन्यथा उपबंधित न हो, शासकीय सेवक का संपूर्ण समय शासन के अधीन है जो उसे भुगतान करता है । सक्षम प्राधिकारी शासकीय सेवक को बगैर अतिरिक्त पारिश्रमिक दिए किसी भी प्रकार से नियोजित कर सकता है।

[मूल नियम 11]

2. **धारणाधिकर (Lien)**

जब किसी शासकीय सेवक को किसी स्थाई पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किया जाए तब ही वह उस पद पर धारणाधिकार (Lien) अर्जित करेगा और किसी अन्य पद पर पूर्व अर्जित उसका धारणाधिकार है तो वह समाप्त माना जायेगा ।

[मूल नियम 12- ए]

3. **धारणाधिकार का प्रतिधारण (Retention of Line)**

(1) जब तक वह उस पद पर कार्यरत रहे ;

(2) विदेश सेवा के दौरान या अस्थाई पद पर नियुक्त होने की अवधि तक या किसी अन्य पद पर स्थानापन्न रहने के दौरान,

(3) अन्य पद पर स्थानान्तरण होने पर कार्यग्रहण अवधि के दौरान । यदि उसका स्थानान्तरण मौलिक रूप से निचले पद पर किया जाता है तो कार्य मुक्त होने के दिनांक से ही उसका धारणाधिकार निचले पद पर स्थानान्तरित हो जायेगा;

(4) अनिवार्य सेवा निवृति की तिथि के पश्चात् स्वीकृत अस्वीकृत अवकाश को छोड़कर, अवकाश काल में;

(5) निलंबन अवधि के दौरान। [मूल नियम 13]

4. **कम वेतन वाले पद पर स्थानान्तरण**

अयोग्यता या कदाचरण के कारण अथवा शासकीय सेवक की लिखित सहमति के सिवाय, किसी भी शासकीय सेवक को एक पद से दूसरे पद पर मौलिक रूप से स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता है अथवा मूल नियम 49 द्वारा आच्छादित मामले के सिवाय, स्थाई पद के वेतन से कम वेतन वाले पद पर जिस पर उसका धारणाधिकार है अथवा मूल नियम 14 के अधीन उसका धारणाधिकार निलंबित नहीं किया गया होता तो उसका धारणाधिकार कायम रहता, स्थानापन्न नियुक्त नहीं किया जा सकता है। [मूल नियम 15]

अत: उपरोक्त नियम से स्पष्ट है कि कदाचरण के कारण या उसकी लिखित सहमति पर निचले पद पर स्थानान्तरित किया जा सकता है।

Principal

5. लगातार अनुपस्थिति का प्रभाव :-

जब तक कि राज्यपाल मामले की विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अन्यथा निश्चित न करे मूल नियम 18 के अनुसार कोई भी सरकारी सेवक को लगातार 5 वर्ष से अधिक अवधि का किसी भी प्रकार का अवकाश मंजूर नहीं किया जाएगा।

6. परिवीक्षा काल की समाप्ति पर कार्यवाही

सीधी भरती से नियुक्त जब किसी व्यक्ति को परिवीक्षा पर रखा जाए तो निर्धारित परिवीक्षा काल की समाप्ति पर यदि उसने परिवीक्षा काल सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है तथा विभागीय परीक्षा यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर ली है तो, उसे स्थाई कर देना चाहिए। यदि स्थाई पद उपलब्ध नहीं है तो, उसके पक्ष में इस आशय का एक प्रमाण-पत्र जारी किया जाना चाहिये कि स्थाई पद उपलब्ध नहीं है, जैसे ही कोई स्थाई पद उपलब्ध होगा उसे स्थाई घोषित कर दिया जायेगा। इससे उसको वेतन वृद्धियां मिलना प्रारंभ हो जाएंगी । अन्यथा तब तक वेतन वृद्धियां रुकी रहेंगी। यदि स्थाईकरण नहीं किया गया है, तथा उसके पक्ष में ऐसा प्रमाण पत्र भी जारी नहीं किया गया है तो, परिवीक्षा काल की समाप्ति पर उसको अस्थाई नियुक्त मान लिया जाएगा तथा उसकी सेवा "अस्थाई तथा अर्द्ध स्थाई सेवा नियम, 1960" से शासित होगी।

7. वरिष्ठता का निर्धारण

(1) सीधी भर्ती/पदोन्नत व्यक्तियों की वरिष्ठता- (क) नियमों के अनुसार किसी पद पर सीधे नियुक्त किसी व्यक्ति की वरिष्ठता पद-ग्रहण की तारीख का विचार किये बिना उस योग्यता क्रम के आधार पर अवधारित की जायेगी जिसमें नियुक्ति के लिये उसकी सिफारिश की गई है। पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति पश्चातवर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति से वरिष्ठ होंगे ।

(ख) जहां पदोन्नतियां किसी विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयन के आधार पर की जाती हैं। तो इस प्रकार पदोन्नत व्यक्तियों की वरिष्ठता उस क्रम में होगी, जिस क्रम में समिति द्वारा इस प्रकार पदोन्नत करने के लिये उनकी सिफारिश की है।

(ग) जहां पदोन्नतियां अनुपयुक्त व्यक्तियों की अस्वीकृति (रिजेक्शन) के अध्यधीन वरिष्ठता के आधार पर की जाती हैं तो उसी समय पदोन्नति के लिये उपयुक्त पाये गये व्यक्तियों की वरिष्ठता वही होगी, जैसी कि उस निम्न संवर्ग में सापेक्ष वरिष्ठता है, जिससे उनकी पदोन्नति की जाती है तथापि जहां किसी व्यक्ति को पदोन्नति के लिये अनुपयुक्त पाया जाता है तथा किसी कनिष्ठ व्यक्ति द्वारा अधिक्रमित किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति की वरिष्ठता, यदि बाद में उपयुक्त पाया जाता है तथा पदोन्नत किया जाता है, उन कनिष्ठ व्यक्तियों पर उच्चतर संवर्ग में अवधारित नहीं की जायेगी, जिन्होंने उसे अधिक्रमित किया था ।

(घ) किसी ऐसे व्यक्ति की वरिष्ठता, जिसका मामला विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वार्षिक चरित्रावलियों के अभाव में या अन्य कारणों से रोका गया किन्तु बाद में उस तारीख से पदोन्नति के लिये उपयुक्त पाया जाये, जिस तारीख को उससे कनिष्ठ व्यक्ति पदोन्नत किया गया था, चयन सूची में उससे तत्काल कनिष्ठ व्यक्ति की पदोन्नति की तारीख से या उस तारीख, से जिस तारीख को वह विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उपयुक्त पाया गया हो, अवधारित की जायेगी।

(ङ) सीधे भर्ती किये गये तथा पदोन्नत किये गये व्यक्तियों के बीच सापेक्ष वरिष्ठता नियुक्ति/पदोन्नति आदेश जारी किये जाने की तारीख के अनुसार अवधारित की जायेगी :

परन्तु यदि कोई व्यक्ति उससे वरिष्ठ व्यक्ति के पूर्व रोस्टर के आधार पर नियुक्त/पदोन्नत किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति की वरिष्ठता समुचित प्राधिकारी द्वारा तैयार की गई योग्यता/चयन/उपयुक्त सूची के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

(च) यदि किसी सीधी भर्ती की परिवीक्षा की कालावधि या किसी पदोन्नत व्यक्ति को परीक्षण कालावधि विस्तारित की गई हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी यह अवधारित करेगा कि क्या उसे वही वरिष्ठता दी जानी चाहिए जैसी कि उनकी प्रदान की गई होती, यदि उसने परिवीक्षा/परीक्षण की सामान्य कालावधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली होती या क्या उसे निम्न वरिष्ठता दी जानी चाहिए।

(छ) यदि सीधी भरती पदोन्नति के आदेश एक ही तारीख को जारी होते हैं तो पदोन्नत व्यक्ति सामूहिक रूप से (इनब्लॉक) सीधी भर्ती किये गये व्यक्ति से वरिष्ठ माने जायेंगे।

(2) **स्थानांतरित व्यक्ति की वरिष्ठता-**

(क) राज्य शासन के एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतर द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की सापेक्ष वरिष्ठता ऐसे स्थानांतरणों के लिये उनके चयन के क्रम के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

(ख) जहां कोई व्यक्ति सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता होने पर ऐसे स्थानांतरण के लिये उपबंधित भर्ती नियमों में उपबंधों के अनुसार नियुक्त किया गया हो, वहां ऐसा स्थानांतरित व्यक्ति यथास्थिति सीधी भर्ती वाले व्यक्ति या पदोन्नत व्यक्ति के साथ समूहित किया जायेगा, तथा उसे यथास्थिति, एक ही अवसर पर चयनित सभी सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों या पदोन्नत व्यक्तियों से नीचे की श्रेणी में रखा जायेगा ।

Principal
Govt-College Tamnar
Distt-Raigarh (C.G.)

(ग) ऐसे व्यक्तियों के मामले में, जो आरम्भ में प्रतिनियुक्ति पर रखा गया हो तथा बाद में संविलियन (अर्थात् जहां संगत भर्ती नियमों में "प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/स्थानांतरण" की व्यवस्था हो) किया गया हो, ऐसे संवर्ग में जिसमें वह संविलियनित किया गया हो, उसकी वरिष्ठता की गणना सामान्यत: उसके संविलियन की तारीख की जावेगी । तथापि, यदि वह उसके मूल विभाग में नियमित आधार पर उसी या समकक्ष संवर्ग में पहले से ही (संविलियन की तारीख को) पद धारण कर रहा हो तो संवर्ग में ऐसी नियमित सेवा को भी उसकी वरिष्ठता का निर्धारण करते समय इस शर्त के अध्यधीन ध्यान रखा जायेगा कि उसे उस तारीख से वरिष्ठता दी जायेगी, जिसकी वह प्रतिनियुक्ति पर पद धारण कर रहा था या उस तारीख की जिसकी वह उसके वर्तमान विभाग में उसी या समकक्ष संवर्ग में नियमित आधार पर, जो भी बाद में हो, नियुक्त किया गया था।

स्पष्टीकरण- तथापि उपर्युक्त नियम के अनुसार स्थानांतरित व्यक्ति की वरिष्ठता के निर्धारण का ऐसे संविलियन की तारीख से पूर्व किये गये अगले उच्च संवर्ग (ग्रेड) में किन्हीं नियमित पदोन्नतियों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, दूसरे शब्दों में यह केवल ऐसे संविलियन के पश्चात् उच्च संवर्ग में होने वाली रिक्तियों को भरने पर लागू होगा।

(3) विशेष प्रकार के मामलों में वरिष्ठता -

(क) ऐसे मामले में, जहां निम्न सेवा, संवर्ग या पद में कटौती की शास्ति शासकीय सेवक पर अधिरोपित की गई हो तथा ऐसी कटौती विनिर्दिष्ट अवधि के लिये हो तथा यह भावी वेतनवृद्धियों को स्थगित करने के लिये लागू न की जानी हो, तो शासकीय सेवक की वरिष्ठता जब तक कि शास्ति के आदेश की शर्तें अन्यथा उपबंधित न करती हों, उच्च सेवा, संवर्ग या पद अथवा उच्च समयमान में उसी प्रकार निर्धारित की जा सकेंगी जैसी कि उसकी कटौती न किये जाने की स्थिति में की गई होतीं ।

(ख) ऐसे मामलों में कटौती, किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये की जानी है तथा भावी वेतनवृद्धियों की स्थगित करने के लिये की जानी हो, वहां पुनर्पदोन्नति के संबंध में शासकीय कर्मचारी की वरिष्ठता जब तक कि शास्ति के आदेश की शर्तें अन्यथा उपबंधित न करती हों, उच्च सेवा, संवर्ग या पद अथवा उच्च समयमान वेतन में या उसके द्वारा की गई सेवा की अवधि को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जा सकेगी ।

(ग) नये कार्यालय में अतिशेष कर्मचारी, उनकी वरिष्ठता के प्रयोजन के लिये पूर्व कार्यालय में की गई पिछली सेवा के लाभ के हकदार नहीं होंगे तथा ऐसे कर्मचारी, उनकी वरिष्ठता के मामले में नये प्रवेशार्थी के रूप में माने जायेंगे ।

(घ) जब किसी कार्यालय में, विशिष्ट संवर्ग के दो या दो से अधिक अतिशेष कर्मचारियों को, किसी दूसरे कार्यालय में किसी संवर्ग में संविलियन के लिये अलग-अलग तारीखों में चयन किया जाता है तो दूसरे कार्यालय में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता वही रहेगी, जो उनके पूर्व कार्यालय में थी, परन्तु यह कि -

(एक) इन तारीखों में उस संवर्ग में किसी व्यक्ति को सीधी भर्ती के लिये न चुना गया हो तथा

(दो) इन तारीखों में उस संवर्ग में किसी पदोन्नत व्यक्ति का नियुक्ति के लिये अनुमोदन न किया गया हो ।

(4) तदर्थ कर्मचारियों की वरिष्ठता-

(क) तदर्थ आधार पर नियुक्त किसी व्यक्ति को उसकी सेवाओं के नियमित किये जाने तक, कोई वरिष्ठता नहीं दी जायेगी।

(ख) यदि किसी व्यक्ति को भरती नियमों में दी गई प्रक्रिया का मूलत: अनुसरण करते हुए तदर्थ नियुक्ति दी जाती है और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति, नियमों के अनुसार सेवा में नियमित किये जाने तक लगातार पद पर बना रहता है तो उसकी वरिष्ठता के निर्धारण के लिये, स्थानापन्न सेवा की अवधि की गणना की जायेगी ।

[नियम 12]

विषय- बस्तर एवं सरगुजा संभाग के जिलों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्त कर्मचारियों की वरिष्ठता निर्धारण के संबंध में।

संदर्भ- इस विभाग की अधिसूचना क्र. 1-1/2012/1-3, दिनांक 17-01-2012,

उपरोक्त विषयक संदर्भित अधिसूचना के अनुसार बस्तर एवं सरगुजा संभाग के अन्तर्गत आने वाले जिलों के स्थानीय निवासी ही संबंधित जिलों के विभिन्न विभागों में जिला संवर्ग के सीधी भरती के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों में उद्भूत रिक्तियों पर भर्ती होंगे ।

2. उक्त प्रावधान को सरल (Facilitate) करने के लिए कुछ विभागों के राज्य संवर्ग को जिला संवर्ग में परिवर्तित भी किया गया है। जिला संवर्ग में नियुक्त कर्मचारी का स्थानान्तरण सामान्यत: अन्य जिले में नहीं किया जा सकता है।

3. इस संबंध में शासन द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 17-01-2012 जारी होने के पूर्व से ही विभिन्न जिलों में कार्यरत कर्मचारियों की संवर्गवार वरिष्ठता सूची, प्रचलित प्रावधानों के अनुसार पूर्व के जिले में ही संधारित की जाएगी एवं उसी वरिष्ठता के आधार पर भविष्य में उनकी पदोन्नति भी होगी तथा प्रशासकीय आधार पर उनका अंतर-जिला स्थानान्तरण भी हो सकेगा। लेकिन उक्त अधिसूचना दिनांक 17-01-2012 जारी होने के पश्चात् एवं भविष्य

Principal
Govt College Tamnar
Dist-Raigarh (C.G.)

में अन्य संभाग के जिलों से स्थानान्तरित होकर बस्तर एवं सरगुजा संभाग के जिलों में पदस्थ होने वाले कर्मचारियों की वरिष्ठता, स्थानांतरित नए जिले में उनके संवर्ग में पूर्व से कार्यरत कर्मचारियों के ठीक नीचे निर्धारित होगी तथा उनके मामले में अंतरजिला स्थानांतरण प्रतिबंधित करने संबंधी समस्त निर्देश लागू होंगे ।

4. उपरोक्त निर्देशों का कृपया कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एफ 1-1/2012/1-3, दिनांक 21-5-2013]

8. शासकीय सेवकों का स्थायीकरण

(अ) सीधी भरती से नियुक्त व्यक्तियों के मामले में- जिन व्यक्तियों को विभागीय भरती नियमों के अनुसार परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया है, उन्हें मप्र सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8 के उप नियम (6) के अनुसार परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर स्थायी किया जाना अनिवार्य है। परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर उपयुक्त पाये जाने पर, परिवीक्षाकाल समाप्त होने की तिथि से यदि स्थायी पद उपलब्ध हो तो स्थायीकरण के आदेश निकालना चाहिए । यदि स्थाई पद उपलब्ध नहीं हो तो उसके पक्ष में यह प्रमाण-पत्र जारी किया जाना चाहिए कि उसने परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, और उन्हें स्थाई पद के अभाव में स्थाई करने के आदेश नहीं निकाले जा सकें। भविष्य में जैसे ही स्थाई पद उपलब्ध होगा वैसे ही उन्हें स्थाई कर दिया जायगा। यह प्रमाण-पत्र नियुक्तिकर्ता अधिकारी के द्वारा ही दिया जायगा।

(ब) पूर्व से किसी अन्य पद पर स्थाई शासकीय सेवक के मामले में- कोई व्यक्ति जो पहले से ही स्थायी शासकीय सेवा में है, सीधी भरती, पदोन्नति या स्थानांतरण द्वारा किसी अन्य सेवा या पद पर नियुक्त किया जाता है तो उस पद पर उसकी उपयुक्तता अभिनिश्चित करने के लिए सामान्यत: दो वर्षो के लिए परीक्षण पर स्थानापन्न हैसियत में नियुक्त किया जायगा। परीक्षण की अवधि समाप्त होने पर उसे स्थायी किया जायेगा । परन्तु यदि स्थाई पद उपलब्ध नहीं है तो संबंधित शासकीय सेवक के पक्ष में इस आशय का एक प्रमाण-पत्र जारी किया जायगा कि ''स्थानापन्न शासकीय सेवक को स्थायी कर दिया गया होता किन्तु स्थायी पद उपलब्ध नहीं है और जैसे ही स्थाई पद उपलब्ध होगा उसे स्थायी कर दिया जाएगा।''

(स) स्थायीकरण के लिए समिति- पदोन्नति से नियुक्त शासकीय सेवकों के स्थाईकरण के प्रकरणों में निर्णय लेने के लिए विभागीय स्थायीकरण समिति का गठन किया जाता है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2501/2190/86 (एक)/1, दिनांक 24-9-86 में निर्देश दिये गये हैं। इसमें वही प्रक्रिया अपनाई जाना चाहिए जो लोक सेवा आयोग या विभागीय पदोन्नति में अपनाई जाती है।

(द) **गोपनीय प्रतिवेदनों का मूल्यांकन-** इस संबंध में समुचित निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-3/4/83/3/1, दिनांक 2-7-83 में दिये गये हैं। इसके अनुसार स्थाईकरण करने की तिथि से दो वर्ष पूर्व के गोपनीय प्रतिवेदनों के परीक्षणोपरान्त, उपयुक्तता निर्धारित की जाकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए।

(इ) **लोक सेवा आयोग की सिफारिश कहां आवश्यक हैं-** जो नियुक्तियां लोक सेवा आयोग के परामर्श से परिवीक्षा पर की जाती हैं, उन्हें छोड़कर अन्य सभी मामलों में लोक सेवा आयोग का परामर्श आवश्यक है। पदोन्नति के मामले में भी जहां आयोग के परामर्श उपरान्त परीक्षण पर रखा गया है, उन्हें छोड़कर, अन्य शेष सभी मामलों में आयोग का परामर्श आवश्यक है।

[सामान्य प्रशासन विभाग शाप क्रमांक सी-3-10/93/एक दिनांक 16-3-93
तथा समय-समय पर जारी परिपत्र]

9. राज्य विभाजन के फलस्वरूप आपसी अदला-बदली के आधार पर केन्द्र शासन के अंतिम आवंटन में छत्तीसगढ़ राज्य को आवंटित अधिकारियों/कर्मचारियों की वरिष्ठता का निर्धारण

केन्द्र शासन के अंतिम आवंटन के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य की आवंटित अधिकारियों/ कर्मचरियों की वरिष्ठता का निर्धारण केन्द्र शासन के अंतिम आवंटन के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य को आवंटित अधिकरियों/ कर्मचारियों में कुछ अधिकारी/कर्मचारी आपसी अदला-बदली कर छत्तीसगढ़ राज्य आये हैं। ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों की वरिष्ठता निर्धारण के संबंध में कतिपय विभागों द्वारा मार्गदर्शन चाहा गया ।

इस संबंध में राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि आपसी अदला-बदली के ऐसे अधिकारी/ कर्मचारी, जो एक ही संवर्ग तथा एक ही विभाग के हों, के छत्तीसगढ़ आने पर उनकी वरिष्ठता मूल संवर्ग में जो वरिष्ठता रही थी उसी अनुसार ही रहेगी, जैसा कि केन्द्र शासन के अंतिम आवंटन आदेशों के संलग्न सूचियों में भी दर्शायी गई है।

यदि आपसी अदला-बदली अलग-अलग संवर्ग के शासकीय सेवकों की हुई हो तो केन्द्र सरकार के अंतिम रूप से आवंटन आदेश से आये शासकीय सेवकों की नये संवर्ग में वरिष्ठता छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 (दिनांक 2-4-98 को संशोधित) के नियम 12 अनुसार निर्धारित की जावेगी, अर्थात् इस प्रकार की अदला-बदली से आये शासकीय सेवक नये संवर्ग में दिनांक 1-11-2000 की वरिष्ठता सूची में कनिष्ठतम माने जायेंगे।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एफ-1-3/1-7/2003, दिनांक 1-1-2004]

Principal
Govt. College Tamnar
Distt. Raigarh (C.G.)

अध्याय - 2

आचरण / अनुशासन
(CONDUCT/DISCIPLINE)

सन्दर्भ : छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965

सरकारी कर्मचारी अनुशासन में रहें इसीलिए उनके पालनार्थ आचरण नियम बनाये गये हैं तथा उल्लंघन करते पाये जाने की दशा में उचित दण्ड देने का भी प्रावधान रखा गया है।

1. आचरण नियम किन्हें लागू

(1) छत्तीसगढ़ राज्य के सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को;

(2) कार्यभारित तथा आकस्मिक व्यय से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को ;

(3) स्वायत्त संस्थाओं में भी आचरण नियम लागू करने के निर्देश हैं।

2. आचरण नियम किन्हें लागू नहीं

(1) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को

(2) जिनके संबंध में राज्यपाल सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्णय लें ।

[नियम 1 (3)]

3. शासकीय सेवकों से अपेक्षा

(1) प्रत्येक शासकीय सेवक सदैव ही

(क) पूर्ण रूप से संनिष्ठ रहे;

(ख) कर्तव्यपरायण रहे और

(ग) ऐसा कोई कार्य नहीं करे जो कि उसके लिए अशोभनीय हो ।

[नियम 3]

(घ) अपने पदीय कृत्यों के पालन में अशिष्टता से कार्य नहीं करे;

(ङ) जनता के साथ अपने पदीय संव्यवहार में या अन्यथा विलंबकारी कार्यनीति नहीं अपनाये, और उसे सौंपे गये कार्य को निपटाने में जानबूझकर विलंब नहीं करे;

(च) ऐसा कुछ नहीं करे जो अनुशासनहीनता का द्योतक हो;

(छ) उसे आवंटित शासकीय आवास की वह किराये पर या पट्टे पर नहीं दे अथवा किसी व्यक्ति को अभिलाभ के लिए अधिभोग या उपभोग की अन्यथा इजाजत नहीं दे ।

[नियम 3 (क)]

(2) **सम्पूर्ण समय पर शासन की नीतियों का पालन करे**

(क) विवाह की आयु का, पर्यावरण के संरक्षण का, वन्य जीव की सुरक्षा का और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित शासन की नीतियों के अनुसार कार्य करेगा ;

(ख) महिलाओं के विरुद्ध अपराध के निवारण से संबंधित शासन की नीतियों का पालन करेगा ।

[नियम 3 (ख)]

(ग) प्रत्येक सरकारी सेवक भारत सरकार या राज्य सरकार की परिवार कल्याण से संबंधित नीतियों का पालन करेगा ।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजन के लिये शासकीय सेवक के दो से अधिक बच्चे होने को अवचार (misconduct) माना जावेगा, यदि उनमें से एक का जन्म 26-1-2001 को या उसके बाद हुआ हो ।

[नियम 22 का उपनियम (3) तथा (4)]

(3) कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर निषेध

(i) कोई भी कर्मचारी किसी महिला के कार्यस्थल पर उसके यौन उत्पीड़न के किसी भी कार्य में संलिप्त नहीं होगा ।

(ii) प्रत्येक कर्मचारी जो किसी कार्यस्थल का प्रभारी हो, उस कार्यस्थल पर किसी भी महिला के यौन उत्पीड़न को रोकने के उपयुक्त कदम उठायेगा।

यौन उत्पीड़न में निम्नलिखित अशिष्ट, कामुक क्रियाकलाप शामिल हैं-

(क) शारीरिक सम्पर्क तथा कामासक्त व्यवहार,

(ख) यौन सहमति की मांग या निवेदन,

(ग) कामासक्त फब्ती,

(घ) अश्लील साहित्य दिखाना,

(ङ) कामासक्त प्रकृति का कोई भी अशिष्ट शारीरिक, शाब्दिक या सांकेतिक आचरण ।

[नियम 22 का उपनियम (3)]

(iii) **महिलाओं के विरुद्ध शिकायतों की जांच-** जहां यौन उत्पीड़न की शिकायत प्राप्त हो, वहां प्रत्येक विभाग अथवा कार्यालय में ऐसी शिकायतों की जांच करने के लिये गठित शिकायत समिति को, ऐसे नियमों के प्रयोजन के लिये अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया समझा जायेगा और यदि, यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच के लिये शिकायत समिति के लिए कोई पृथक् प्रक्रिया विहित नहीं की गई है तो शिकायत समिति, जहां तक साध्य हो, इन नियमों में अधिकथित की गई प्रक्रिया के अनुसार जांच करेगी।

Principal
Govt-College Tamnar
Distt-Raigarh (C.G.)

(4) राजनीति तथा निर्वाचनों में भाग लेना -

(1) कोई भी शासकीय सेवक किसी राजनीतिक दल या किसी ऐसे संगठन जो राजनीति में भाग लेता हो, का सदस्य नहीं बनेगा और न उससे अन्यथा संबंध रखेगा।

(2) वह अपने परिवार के किसी भी सदस्य को किसी ऐसे आन्दोलन या कार्यकलाप में जो शासन के लिए विध्वंसकारी हो या जिसका आशय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विध्वंसकारी होने का हो, भाग लेने, उसकी सहायता के लिए चन्दा देने या किसी अन्य रीति से सहायता करने से रोकने का प्रयत्न करे । ऐसा करने पर असमर्थ होने पर शासन की इस आशय की रिपोर्ट करे ।

(3) कोई भी सरकारी सेवक किसी विधान मंडल या स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचन में न तो मत याचना करेगा न अन्यथा हस्तक्षेप करेगा न उसके संबंध में अपने प्रभाव का उपयोग करेगा, किन्तु ऐसे निर्वाचन में मत दे सकेगा।

[नियम 5]

(5) प्रदर्शन तथा हड़ताल में भाग लेना

कोई भी शासकीय सेवक स्वयं को किसी भी प्रदर्शन में नहीं लगायेगा या उसमें भाग नहीं लेगा । अपनी सेवा या किसी अन्य शासकीय सेवक की सेवा से संबंधित किसी मामले के संबंध में न तो किसी भी तरह को हड़ताल का सहारा लेगा और न किसी भी प्रकार से अभिप्रेरित करेगा।

[नियम 6]

(6) अवकाश पर प्रस्थान

कोई भी शासकीय सेवक चाहे आकस्मिक अवकाश ही क्यों न हो, उसके स्वीकृत हो जाने के पूर्व (आपात दशा को छोड़कर) अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेगा।

[नियम 7]

टिप्पणी-कर्तव्य से जानबूझकर अनुपस्थित रहना ''अकार्य-दिवस'' (Dies-non) मानी जाएगी । साथ ही शासकीय सेवक का ऐसा कृत्य अनुशासनहीनता की श्रेणी में माना जावेगा तथा वह आनुशासिक कार्यवाही का भी भागी हो सकता है।

टीप- इस संबंध में विस्तृत निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 62/1464/1 (3)/79, दिनांक 28-1-1980, क्रमांक सी-3-12/90/3/49, दिनांक 19-7-90, क्रमांक सी-1-6/36/92/3/1, दिनांक 5-9-92 तथा ज्ञाप क्रमांक सी-6-3/2000/3/एक, दिनांक 2-2-2000 देखें।

Principal
Govt-College Tamnar
Distt-Raigarh (C.G.)

(7) शासन की आलोचना

कोई भी शासकीय सेवक किसी रेडियो प्रसारण, या अन्य मीडिया प्रसारण अपने नाम से या गुमनाम तौर पर कल्पित नाम से या अन्य किसी व्यक्ति के नाम से प्रकाशित किसी दस्तावेज में या समाचार-पत्र में दी गई किसी सूचना में या सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त किसी उद्‌गार में ऐसा कोई तथ्य या राज प्रकट नहीं करेगा, जिसका परिणाम केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की किसी प्रचलित या तात्कालिक नीति या कार्य की प्रतिकूल आलोचना करना हो ।

[नियम 10]

(8) चन्दा एकत्रित करना

शासन की या विहित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी प्रकार के उद्देश्य के लिए नगदी में या वस्तु के रूप में कोई भी शासकीय सेवक न तो अंशदान मांगेगा/न स्वीकार करेगा या एकत्रित किये जाने में स्वयं को अन्यथा संबद्ध करेगा।

[नियम 13]

(9) मादक पेयों तथा औषधियों का सेवन

कोई भी शासकीय सेवक किसी सार्वजनिक स्थान में नशे की हालत में उपस्थित नहीं होगा, साथ ही किसी मादक पेय या औषधि का अभ्यासगत अति सेवन नहीं करेगा ।

''**सार्वजनिक स्थान**'' से आशयित है ऐसा कोई स्थान या परिसर (जिसमें कोई वाहन सम्मिलित है) जिसमें जनता प्रवेश के लिए अनुज्ञात है।

[नियम 23]

(10) अल्पायु बच्चों को रोजगार में लगाना

कोई भी शासकीय सेवक 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को रोजगार में नहीं लगायेगा।

[नियम 23 (क)]

(11) प्रेस तथा अन्य मीडिया से संबंध

(1) कोई भी शासकीय सेवक शासन की पूर्व स्वीकृति के बिना, किसी समाचार-पत्र या अन्य नियतकालिक प्रकाशन तथा अन्य कोई मीडिया का पूर्णत: या अंशत: न तो मालिक बनेगा या उसका संचालन करेगा, न उसके संपादन अथवा प्रबंध में भाग लेगा ।

(2) कोई भी शासकीय सेवक शासन या विहित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना या अपने कर्तव्यों का सद्भावनापूर्ण निर्वहन करने की स्थिति को छोड़कर, न तो कोई अन्य मीडिया प्रसारण में भाग लेगा और न किसी समाचार पत्र या पत्रिका में अपने स्वयं के नाम से, गुमनाम तौर पर, कल्पित नाम से लेख देगा या कोई पत्र लिखेगा :

परन्तु ऐसा ब्राडकास्ट या ऐसा लेख विशुद्ध साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकार का है, तो स्वीकृति अपेक्षित नहीं होगी। [नियम 9]

(12) दहेज का लेन-देन

कोई भी शासकीय सेवक दहेज न तो देगा या लेगा अथवा उसके देने या लेने के लिए किसी को प्रेरित करेगा अथवा यथास्थिति वधु या वर के माता-पिता या संरक्षक से दहेज या अन्यथा रूप से किसी दहेज की मांग करेगा ।

टिप्पणी - ''दहेज'' का वही अर्थ होगा जो कि उसके लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में दिया गया है। [नियम 14 (क)]

(13) दूसरा विवाह

शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना, कोई भी शासकीय सेवक, भले ही उसको लागू वैयक्तिक कानून उसको ऐसा करने की इजाजत देता हो, एक पत्नी के रहते दूसरा विवाह नहीं करेगा ।

इसी प्रकार कोई भी महिला शासकीय सेविका, ऐसे किसी व्यक्ति से विवाह नहीं करेगी, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित है। [नियम 22]

4. कृत्य जिनके लिए पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं

(1) किसी विधान मंडल या स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचन में अपने मत का प्रयोग करने के लिए।

[नियम 5]

(2) यदि प्रसारण (ब्राडकास्ट) या लेख/विशुद्ध साहित्यिक कलात्मक, या वैज्ञानिक प्रकार का है तो कर सकेगा ।

[नियम 9]

(3) अपनी पदीय हैसियत में या उसे सौंपे गये कर्तव्यों के पालन में मीडिया के सामने आना ।

[नियम 10]

(4) शासन, संसद या राज्य विधान सभा द्वारा नियुक्त किये गये प्राधिकारी के समक्ष, या किसी न्यायिक जांच में अथवा शासन के अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा आदेशित किसी विभागीय जांच में साक्ष्य दिया जाना ।

[नियम 11]

(5) (क) किन्हीं भी सामाजिक या खैराती (चेरिटेबिल) प्रकृति के क्रिया-कलापों में भाग लेने, या

(ख) किसी भी साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकृति के यदा-कदा होने वाले क्रिया-कलापों में भाग लेने ; या

(ग) खेल-कूद के क्रिया-कलापों में अव्यवसायी के रूप में भाग लेने; या

(घ) साहित्यिक, वैज्ञानिक या पूर्व सोसाइटी या क्लबों या उसी प्रकार के अन्य संगठनों के रजिस्ट्रीकरण, संप्रवर्तन या प्रबंध में, जिनके कि लक्ष्य या उद्देश्य खेलों/क्रीड़ाओं से संबंधी क्रिया-कलापों या सांस्कृतिक अथवा आमोद-प्रमोद की प्रकृति से संबंधित हों, में भाग लेने ; या

(ङ) सहकारी सोसाइटी जो कि सारभूत रूप से शासकीय सेवकों के फायदे के लिए स्थापित की गई हो (जिसमें कोई निर्वाचन पद धारण करना अन्तर्वलित न हो) रजिस्ट्रीकरण, संप्रवर्तन या प्रबंध में भाग लेने ।

[नियम 16 (2)]

5. उपहार स्वीकार करना-

(1) कोई भी शासकीय सेवक कोई भी उपहार न तो स्वीकार करेगा और न उसे स्वीकार करने के लिए अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य को या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को इसकी इजाजत देगा ।

[नियम 14 (1)]

(2) **निकट संबंधियों से उपहार** - विवाह, जन्मदिन, अन्त्येष्टि या धार्मिक कृत्यों जैसे अवसरों पर जबकि उपहार का दिया जाना प्रचलित धार्मिक या सामाजिक प्रथा के अनुरूप हो, लिया जा सकता है। किन्तु यदि उपहार का मूल्य निम्न सीमा से अधिक है, तो एक माह के भीतर शासन को सूचित किया जाना चाहिए-

(एक)	प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के मामले में	रु.	12000/-
(दो)	तृतीय श्रेणी के मामले में	रु.	5000/-
(तीन)	चतुर्थ श्रेणी के मामले में	रु.	2000/-

[नियम 14 (2)]

(3) **स्वकीय मित्रों से उपहार** - स्वीकार किये जा सकते हैं, जिनका कि उनके साथ पदीय संव्यवहार न हो, किन्तु एक माह के अन्दर शासन को रिपोर्ट की जाएगी, यदि उपहार का मूल्य अधिक है :-

(एक)	प्रथम श्रेणी/द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के मामले में	रु.	4000/-

Principal
Govt. College Tamnar
Dist.-Raigarh (C.G.)

(दो) तृतीय श्रेणी के मामले में रु. 1500/-
(तीन) चतुर्थ श्रेणी के मामले में रु. 1000/-

[नियम 14 (3)]

(4) कोई भी शासकीय सेवक अकाउन्ट पेयी चैक के माध्यम के सिवाय रु. 5000 से अधिक का कोई उपहार नगदी में स्वीकार नहीं करेगा या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य को या उसकी ओर से या कुटुम्ब के किसी सदस्य की ओर से किसी व्यक्ति को स्वीकार करने की अनुमति देगा।

[नियम 14 (5)]

6. जंगम, स्थावर तथा मूल्यवान संपत्ति :-

(1) सेवा में प्रथम बार नियुक्त होने पर तथा उसके बाद प्रतिवर्ष 31 जनवरी तक निम्नलिखित के बारे में :-

(क) उसके द्वारा दान में प्राप्त की गई, उसके स्वामित्व की या उसके द्वारा अर्जित की गई या उसके स्वयं के नाम से अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित स्थावर सम्पति का विवरण (Immovable Property);

(ख) उसके द्वारा दान में प्राप्त या उसी प्रकार उसके स्वामित्व के, उसके द्वारा अर्जित या धारित अंश, ऋण-पत्र या नगदी, जिसमें बैंक निक्षेप भी सम्मिलित है;

(ग) उसके द्वारा दान में प्राप्त की गई या उसी प्रकार उसके स्वामित्व की, उसके द्वारा अर्जित की गई या उसके द्वारा धारित अन्य जंगम सम्पति ;

(घ) उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से लिए गये ऋण या अन्य दायित्व ।

[नियम 19 (1)]

(2) **स्थावर सम्पत्ति (Immovable Property) का क्रय या विक्रय -**

विहित प्राधिकारी की पूर्व जानकारी के बिना न तो स्वयं अपने नाम से और न अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम से पट्टे, बंधक, क्रय, विक्रय, दान या अन्यथा न तो अर्जित की जायगी और न उसे हस्तान्तरित की जा सकेगी ।

पूर्व स्वीकृति लेना कब आवश्यक - जब ऐसा कोई लेन-देन ऐसे व्यक्ति के साथ हो, जिसका शासकीय सेवक के साथ प्रदीय संव्यवहार है।

[नियम 19 (2)]

(3) जंगम सम्पत्ति (Movable Property) का लेन-देन- लेन-देन की सूचना विहित प्राधिकारी को देगा, यदि ऐसी सम्पति का मूल्य प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारी के मामले में रु. 10,000/- एवं तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के मामले में रु. 5,000/- से अधिक है।

पूर्व स्वीकृति कब आवश्यक - जब ऐसा कोई लेन-देन किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो, जिसका शासकीय सेवक के साथ पदीय संव्यवहार है।

[नियम 19 (3)]

व्याख्या- जंगम संम्पत्ति (Movable Property) में शामिल है - रत्न, आभूषण (ज्वेलरी) बीमा पालिसियां जिनके वार्षिक प्रीमियम रु. 1000/- से अधिक हैं। शासकीय सेवकों द्वारा लिये गये ऋण चाहे वे प्रतिभूत हों या न हों। सवारी के समस्त साधन, रेफ्रिजरेटर्स, रेडियो, रेडियोग्राम, टी.वी. सेट तथा अन्य विद्युत और इलेक्ट्रानिक उपकरण ।

विहित प्राधिकारी से तात्पर्य - उस स्थिति को छोड़कर, जबकि कोई निम्न प्राधिकारी किसी प्रयोजन के लिए शासन द्वारा विशेष रूप से उल्लिखित किया जाय :-

(i) प्रथम श्रेणी के मामले में - राज्य शासन
(ii) द्वितीय श्रेणी के मामले में - विभागाध्यक्ष
(iii) तृतीय या चतुर्थ श्रेणी के मामले में - कार्यालय प्रमुख

(4) शासन, तृतीय या चतुर्थ श्रेणी के शासकीय सेवकों के किसी प्रवर्ग को नियम 19 के उपनियम (4) के उपबंध को छोड़कर, इस नियम के उपबंधों में से किसी भी उपबंध से छूट दे सकता है। ऐसी छूट शासन के सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति के बिना नहीं दी जा सकेगी ।

[नियम 19 (5)]

परिवार से आशय

(एक) शासकीय सेवक की पत्नी या उसका पति, चाहे वह शासकीय सेवक के साथ रहती/रहता हो अथवा नहीं, किन्तु उसमें यथास्थिति ऐसी पत्नी या ऐसा पति शामिल नहीं है, जिसका कि सक्षम न्यायालय की डिक्री या आदेश द्वारा शासकीय सेवक से अलगाव हो गया। है ।

(दो) शासकीय सेवक का पुत्र या पुत्री या सौतेला पुत्र या सौतेली पुत्री, जो उस पर पूर्णत: आश्रित हो, किन्तु उसमें ऐसा बालक या सौतेला बालक, जो अब शासकीय सेवक पर किसी भी प्रकार से आश्रित नहीं है या जिसे अभिरक्षा में रखने से शासकीय सेवक को किसी भी विधि द्वारा या उसके अधीन वंचित कर दिया गया है, शामिल नहीं है।

(तीन) कोई भी अन्य व्यक्ति, जो शासकीय सेवक या शासकीय सेवक की पत्नी या उसके पति से चाहे रक्त द्वारा या विवाह द्वारा संबंधित हो तथा शासकीय सेवक पर पूर्णत: आश्रित हो ।

[नियम 3 (ग) सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965]

7. शासकीय सेवकों द्वारा अपने अचल सम्पति का विवरण भेजने के संबंध में जारी किए गए आदेशों का पालन करना

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 19 (1) के अनुसार शासकीय सेवकों द्वारा अपने अचल सम्पत्ति के संबंध में वार्षिक विवरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में, इस विभाग के परिपत्र क्रमांक 174/278/एक (तीन)/74, दिनांक 07 मार्च, 1974 एवं क्रमांक सी-5-1/94/3/एक दिनांक 05-01-1994 तथा परिपत्र क्रमांक सी-3-26/2000/3/एक, दिनांक 27-9-2000 में भी निर्देश जारी किये गये हैं।

Principal
Govt-College Tamnar

(2) कई शासकीय सेवकों द्वारा उपरोक्त नियमों/निर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है जो आपत्तिजनक है। अत: इस संबंध में पुन: सभी शासकीय सेवकों का ध्यान उपर्युक्त अनुदेशों की ओर आकृष्ट किया जाता है तथा अपेक्षा की जाती है कि उपर्युक्त अनुदेशों के अनुसार प्रत्येक शासकीय सेवक अपने अचल सम्पति का विवरण, विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी को प्रतिवर्ष 31 जनवरी के पूर्व प्रस्तुत करेगा। किसी शासकीय सेवक द्वारा समय पर अचल सम्पति का विवरण प्रस्तुत न किए जाने पर उसे गंभीरता से लिया जायेगा । विभाग/कार्यालय में नियंत्रण रखने वाले अधिकारियों की भी यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह यह देखें कि उनके अधीनस्थ समस्त अधिकारी अपना अचल संपत्ति विवरण यथासमय प्रस्तुत कर रहे हैं।

3. चल-अचल सम्पति के क्रय-विक्रय के संबंध में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम क्रमांक 19 में भी स्पष्ट किया है। अत: चल-अचल सम्पत्ति के क्रय-विक्रय और भवन निर्माण कार्य आदि के बारे में भी नियम 19 के प्रावधानों तथा इस संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों में दिये निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिये ।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एफ 11-1/2009/1-3, दिनांक 8-9-2009]

8. शासकीय कर्मचारियों द्वारा आयोजित हड़तालों, धरना तथा सामूहिक अवकाश आदि के अवसरों पर कार्यालय से गैर हाजिरी अवधि के संबंध में शासन के निर्देश

शासन ने इसे गंभीरता से लिया है तथा निर्देशित किया है कि

(क) शासकीय सेवकों के उक्त प्रकार के कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के अनुसार कदाचरण (misconduct) की श्रेणी में आते हैं। ऐसे कृत्य किये जाने पर वे अनुशासनात्मक कार्रवाई के भागी होंगे -

(1) बिना पूर्व स्वीकृति के सामूहिक अवकाश पर जाने की दशा में अथवा हड़ताल में भाग लेने की दशा में ऐसी अनधिकृत अनुपस्थिति के दिवसों तथा हड़ताल का वेतन देय नहीं होगा, न ही इस प्रकार अनुपस्थिति के दिवसों का अवकाश मंजूर किया जायेगा। इस अवधि की 'ब्रेक-इन-सर्विस' माना जायेगा ।

(2) उपरोक्त के अतिरिक्त जब कभी शासकीय सेवकों द्वारा उक्त प्रकार के कृत्य किये जाएं तो ऐसी घोर अनुशासनहीनता करने वालों के विरुद्ध गुण-दोषों के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के आदेश सक्षम अधिकारी दे सकेंगे।

(ख) इनमें यदि कुछ रियायतें देना हो, जिनके लिए कि किन्हीं विशेष परिस्थितियों के कारण औचित्यपूर्ण आधार विद्यमान हो तो ऐसी रियायतें देने के प्रस्ताव कारण दर्शाते हुए विभागाध्यक्षों द्वारा शासन के विचार हेतु भेजा जा सकता है। -

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एफ. 2-3/1/9/2006, दिनांक 10-4-2006]

Principal
Govt. College Tamnar
Dist. Raigarh (C.G.)